


19.01.2024:-पत्रावली पेशी मे आई। वकील वादी उपस्थित नही आये। वादी अधिवक्ता को पूर्व मे कई बार अन्तिम अवसर दिये जा चुके है। प्रकरण को लंबित स्तर पर रखा जाना उचित प्रतीत नही होता है वादी एवं वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नही आये। वादी व वादी अधिवक्ता के उपस्थित नही आने के कारण वादपत्र वादी अदम पैरवी/अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

*Uceyo*  
सहायक कलक्टर  
एतः उपवाचक अधिकारी  
रघुमानगढ़



वार  
डी  
क  
प्रा  
का  
ज